न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

सुन्दरलाल बनाम केशरी देवी वगै०

दावा मु० नं० 174/2020

पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश हुयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 व वकील वादी मूल वाद पत्र उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री रामकुंवार गूर्जर ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि विचाराधीन वाद की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 16 खातेदार है तथा मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में 18 खातेदार है वाद में 5 खातों का विभाजन चाहा गया है जबकि खातेदार भिन्न भिन्न है। रा0 का0 अ0 की धारा 53 (5) के अनुसार वाद पत्र चलने योग्य नही है। तथा वादग्रस्त आराजी में ग्रामदान बतौर सहखातेदार दर्ज है, ग्रामदान अधिनियम के अनुसार ग्रामदान भूमियों का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी मूल वाद पत्र ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि रा0का0अ0 की धारा 53 (4) अनुसार समस्त खातेदारान को वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है उसी अनुसार समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। रा0का0अ0 की धारा 53 (5) वादी द्वारा 3–4 अलग–अलग जगह भूमि खरीद कर एक ही वाद प्रस्तुत करने पर लागू होती है इस प्रकरण में ऐसा नही है खातेदारो की संख्या में अन्तर केवल कुछ मृत खातेदारों के वारिसो की संख्या में पृथक– पृथक होने एवं कुछ खातेदारान द्वारा भूमि का बेचान करने से हुआ है। अतः धारा 53 (5) के प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते है। ग्रामदान दिनांक 21.05.2018 को समाप्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण पांचों भाईयों ने बाहमी बंटवारा कर रखा है, इस सम्बन्ध में इकरारनामा बंटवारा लेख पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

Division of tenancies

53. Division of Holding—

(1) Omitted.

(2) A division of a holding shall be effected in the following manner-

(i) by agreement between the co-tenants in respect of—

(a) such division of the holding; and

(b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided; or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more of the co-tenants for the purpose of division of the holding and distributing the rent hereof over the several portions to which it is divided.

(3) Omitted.

(4) To every suit for the division of one or More than one holding all the co-tenants and the landholder shall be made parties.

(5) A suit for the division of more than, one holding may be instituted provided hat the parties are the same.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.02 09:21:59 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रा0का0अ0 की धारा 53 (4) का मूल तथ्य यह है कि विभाजन के वाद में समस्त सहखातेदार एवं भूमिधारी आवश्यक रुप से पक्षकार होने चाहिये यहां इसका यह भाव नही है कि पृथक –पृथक खाते जिनमें पक्षकार भिन्न हो के लियें एक ही वाद प्रस्तुत कर दिया जावे। रा0का0अ0 की धारा 53 (5) का आशय यह है कि एक से अधिक जोत के विभाजन में यदि समस्त जोतो में खातेदार समान हो तो एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है अन्यथा एक भी पक्षकार जो केवल एक जोत में ही सहखातेदार है अन्य जोतो में नही है के द्वारा अन्य जोतो के विभाजन को अनावश्यक रुप से प्रभावित और वाद को लम्बित कर सकने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। प्रकरण/विचाराधीन वाद में ग्राम हरजनपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 103, 301, 22, 110, 287 के विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी सं0 16 खाता सं0 301 में सहखातेदार है परन्तु खाता सं0 103 में सहखातेदार नही है, प्रतिवादी सं0 10, 11, 14, 15 खाता सं0 110 में सहखातेदार है परन्तु खाता सं0 103 में सहखातेदार नही है तथा प्रतिवादी सं0 9 व 1 खाता सं0 103 में सहखातेदार है परन्तु खाता सं0 110 में सहखातेदार नही है, इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5, 6 ,7 खाता सं0 301 में सहखातेदार है परन्तु खाता सं0 287 में सहखातेदार नही है व प्रतिवादी सं0 17, 18 खाता सं0 287 में सहखातेदार है परन्तु खाता सं0 301 में सहखातेदार नही है। इस प्रकार यह सिद्व है कि प्रकरण रा0का0अ0 की धारा 53 (5) के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही प्रकरण में वाद वर्णित भूमि में खाता संख्या 301 में ग्रामदान 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है यह सत्य है कि इस राजस्व ग्राम में ग्रामदान दिनांक 21.05.2018 को समाप्त हो चुका है परन्तु वाद पत्र में वादी ने इस 1/2 हिस्से का कोई भी घोषणा अथवा पक्षकारान के मध्य विभाजन का अनुतोष चाहने का कथन नही किया है जो कि वादपत्र का आवश्यक भाग था। अतः इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है तथा वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.02 09:21:59 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)